राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–390 / 2015

वीरेन्द्र कुमार छाबड़ी

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर।
2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, ज्योति नगर, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 26.05.2015
आदेश की दिनांक : 09.09.2024
उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (संवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी Head Draftsman के पद से सेवानिवृत्त हुआ है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को वर्ष 1958 में ट्रेसर के पद पर नियुक्त किया गया था। इसके पश्चात अपीलार्थी की पदोन्नति कनिष्ठ ड्राफ्ट्समैन एवं तत्पश्चात वरिष्ठ ड्राफ्ट्समैन के पद पर पदोन्नत किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का आगे तर्क है कि अपीलार्थी माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 322 / 1996 दर्ज की, जिसमें निर्णय दिनांक 20.08.1997 में निर्देश दिये गये कि अपीलार्थी वीरेन्द्र सिंह छाबड़ी को उनसे कनिष्ठ व्यक्ति श्री रमाकान्त एवं श्री आर.सी. अत्रे के साथ वरिष्ठ प्रारूपकार तथा उच्च पदों का लाभ दिया जायें, अर्थात् अपीलार्थी को उनसे कनिष्ठ उक्त व्यक्तियों के समान नियमित नियुक्ति देकर 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पर चयनित वेतनमान का लाभ दिये जाने के आदेश पारित किये जाये। परंतु उक्त आदेश की पालना प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नहीं किये जाने पर अपीलार्थी द्वारा अवमानना याचिका दायर की गई, जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने 7 वर्ष बाद पदोन्नति का लाभ दिया जाना मानते हुए ड्रोप कर दिया था, साथ ही अपीलार्थी

को देरी से हुये भुगतान पर ब्याज राशि प्राप्त करने की स्वतंत्रता दी। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 25.01.1992 के आधार पर 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ देय था। अपीलार्थी को उक्त लाभ क्रमशः 2000–3200 तथा 2000–3500 की वेतन श्रृंखला में दिया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को उक्त लाभ गलत तरीके से दिय गये हैं। अपीलार्थी 18 वर्ष की सेवा पर हैड ड्राफ्ट्समैन के पद की वेतन श्रृंखला 2000–3500 तथा 27 वर्ष की सेवा पर सहायक अभियंता के पद की वेतन श्रृंखला 2200–4000 प्राप्त करने का अधिकारी था।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 4 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 6 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)